**भारत सरकार**
**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2386**

**(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)**

**नई कंपनियां**

**2386. श्री अरुण गोविल:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद से देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में निगमित नई कंपनियों की कुल संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ख) वर्ष 2014 से कारोबार करने में सुगमता में सुधार करने, कंपनी पंजीकरण और कारपोरेट क्षेत्र में अनुपालन ढांचे को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास नई कंपनियों के निगमन से रोजगार सृजन के संबंध में कोई आकलन उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश के मेरठ-हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले आठ वर्ष के दौरान निगमित नई कंपनियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार के पास इन नई कंपनियों के माध्यम से सृजित रोजगार के संबंध में कोई ब्यौरा या आकलन उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने से देश में और उत्तर प्रदेश राज्य में निगमित नई कंपनियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): सरकार ने 2014 से व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार लाने, कंपनियों के पंजीकरण को सरल बनाने और कारपोरेट क्षेत्र पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग): इस मंत्रालय द्वारा वर्ष-वार रोजगार सृजन के संबंध में ऐसा कोई आकलन नहीं रखा जाता है।

(घ): कंपनियों के निगमन संबंधी आंकडे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं रखे जाते हैं।

(ग): उपर उल्लिखित भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इस मंत्रालय द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है।

****

**अनुलग्नक-I**

**'नई कंपनियों' के संबंध में 3 अगस्त, 2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2386 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक**

| वित्तीय वर्ष | देश में निगमित कुल कंपनियां | उत्तर प्रदेश में निगमित कंपनियां |
|---|---|---|
| 2014-15 | 64,458 | 6,006 |
| 2015-16 | 84,489 | 7,580 |
| 2016-17 | 97,851 | 8,724 |
| 2017-18 | 1,08,074 | 10,511 |
| 2018-19 | 1,23,941 | 12,438 |
| 2019-20 | 1,22,720 | 12,307 |
| 2020-21 | 1,55,379 | 16,132 |
| 2021-22 | 1,67,087 | 16,979 |
| 2022-23 | 1,59,302 | 17,341 |
| 2023-24 | 1,85,318 | 20,621 |
| 2024-25 | 1,81,138 | 19,614 |
| 2025-26 | 2,47,755 | 27,567 |

*****

**अनुलग्नक-II**

**'नई कंपनियों' के संबंध में 3 अगस्त, 2026 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2386 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने व्यवसाय करने की सुगमता को मजबूत करने, कंपनी पंजीकरण और कारपोरेट क्षेत्र में अनुपालन ढांचे को सरल बनाने के लिए विशिष्ट पहल और नीतियां शुरू की हैं, जैसे:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) में 2015 और 2017 में संशोधन किए गए हैं ताकि व्यवसाय करने की सुगमता हो सके और उद्योग मंडलों और अन्य हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर किया जा सके।

ii. तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को गैर-अपराधीकरण करने और इस प्रकार करने के लिए 2019 और 2020 में सीए-13 में संशोधन किए गए हैं। आपराधिक अदालतों और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) पर बोझ को कम है। उनका उद्देश्य लघु कंपनियों, एकल व्यक्ति कंपनियों, स्टार्ट-अप और निर्माता कंपनियों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करना भी था।

iii. तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन किए गए हैं। छोटे व्यवसायों को औपचारिक रूप देने को प्रोत्साहित करने के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और कम शुल्क कम करने के लिए "स्मॉल एलएलपी" की एक नई श्रेणी स्थापित की गई थी।

iv. कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से निजी कंपनियों, सरकारी कंपनियों, धर्मार्थ कंपनियों, निधि और आईएफएससी (गिफ्ट सिटी) कंपनियों को 2015, 2017 और 2020 के दौरान सीए-13 की धारा 462 के तहत अधिसूचना जारी करके छूट प्रदान की गई है।

v. 15.00 लाख रुपये तक की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए कोई शुल्क नहीं है।

vi. भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अनुमेय विदेशी क्षेत्राधिकार में प्रतिभूतियों को सीधी सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है। यह "ब्रांड इंडिया" को बढ़ावा देता है और बढ़ते प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए आकर्षण बढ़ाता है, दक्षता और विकास को प्रोत्साहित करता है, पूंजी का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है और निवेशक आधार को व्यापक बनाता है।

vii. फरवरी 2021 में फास्ट-ट्रैक विलय के दायरे का विस्तार किया गया था ताकि स्टार्ट-अप्स को अन्य स्टार्ट-अप्स और लघु कंपनियों के साथ विलय हो सके। सितंबर 2025 में इसके दायरे को और बढ़ा दिया गया है ताकि कंपनियों के अधिक वर्ग इस मार्ग को चुन सके। नियमों में भी संशोधन किया गया है ताकि फास्ट-ट्रैक विलय के लिए "मानित अनुमोदन की" आवश्यकता को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

viii. केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) को 2016 में निगमन से संबंधित सेवाओं को तेजी से प्रदान करने के लिए संचालित किया गया था। कंपनी के निगमन के समय तुरंत व्यवसाय शुरू करने के लिए नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी नंबर, बैंक खाता खोलना आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एक ई-प्ररूप एसपीआईसीई+ शुरू किया गया था, और इससे जुड़ा एक फॉर्म एजिल प्रो इसी तरह, एलएलपी के लिए नया ई-प्ररूप एफआईएलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) पेश किया गया था।

ix. फिल्लिप नामक एलएलपी निगमन प्ररूप को भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि एलएलपी के निगमन के समय पैन/टैन प्रदान किया जा सके।

x. सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कारपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना मई 2023 में की गई थी, जिससे हितधारकों को रजिस्टर से अपनी कंपनियों और एलएलपी के नाम रजिस्टर से समय पर और प्रक्रियाबद्ध रूप से हटाने के लिए परेशानी मुक्त फाइलिंग सुविधा प्रदान करके उन्हे सक्षम बनाया जा है।

xi. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना फरवरी 2024 में 12 गैर-एसटीपी रूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए की गई थी।

xii. कंपनी (दंड का अधिनिर्णयन) नियम, 2014 को अगस्त 2024 में संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 के तहत अधिनिर्णय की कार्यवाही इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित ई-एडजुडिकेशन प्लेटप्ररूप के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। यह प्लेटप्ररूप एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया प्रदान करता है जिसमें ऑनलाइन नोटिस तैयार करना, सुनवाई, निर्णय आदेश और भुगतान तैयार करना शामिल है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और त्वरित निर्णय संभव होता है।

xiii. मंत्रालय ने दिनांक 1 दिसंबर, 2025 को सा.का.नि. 880(अ) के माध्यम से, छोटी कंपनियों के लिए सीमा को बढ़ाते हुए कंपनी (परिभाषा विवरण का विनिर्देशन) संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। चुकता पूंजी मानदंड को "4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" से बढ़ाकर "10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" कर दिया गया है और कारोबार मानदंड को "40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" से बढ़ाकर "100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" कर दिया गया है।

xiv. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 12ए के तहत कंपनियों में निदेशकों के लिए वार्षिक केवाईसी आवश्यकता को 31 मार्च, 2026 से संशोधित किया गया है। वार्षिक केवाईसी आवश्यकता को प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सरल केवाईसी सूचना के साथ बदल दिया गया है।

*****